संख्या-111/2024/130/22-2-2024-17(70)/2009टी0सी0

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लन पुत्र मो0 शरीफ, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्लन पुत्र मो0 शरीफ, सिधौर, थाना-बबेरू, जनपद-बांदा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07/08.06.2001 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 700/- भेड़े चोरी करके 07 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1108/2001 में भा0द0वि0 की धारा-364, 379, 302/149, 201, 411 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक 18.12.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.12.2023 तक अपरिहार 17 वर्ष 08 माह 03 दिन तथा सपरिहार 22 वर्ष 07 माह 29 दिन की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, समयपूर्व रिहा होने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 06.12.2023 तक बंदी की 56 वर्ष की आयु, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (07 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लन (बन्दी संख्या-48/2012) पुत्र मो0 शरीफ, निवासी जनपद-बांदा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-111 /2024/130(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट पिटीशन सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध 49 रिट याचिकाओं में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका (सि0) संख्या-558/2024 कल्लन व अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।